वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं

वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

(i) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय एकोमोडेशन की उपलब्धता के अध्यधीन स्वत निचली बर्थ आबंटित करने का प्रावधान है, भले ही इसके लिए कोई विकल्प न दिया हो।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रति सवारी डिब्बा छह से सात निचली बर्थ**,** वातानुकूलित **3** टियर (**3**एसी) में प्रति सवारी डिब्बा चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित **2** टियर (**2**एसी) श्रेणियों में प्रति सवारी डिब्बा तीन से चार निचली बर्थ (गाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।

(iii) सभी क्षेत्रीय रेलों के उपनगरीय खंडों पर लोकल गाड़ी सेवाओं की पूरी अवधि के लिए द्वितीय श्रेणी के पहले और आखिरी सामान्य सवारीडिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम **07** सीटें निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iv) स्टेशनों पर व्हील चेयर के प्रावधान के लिए पहले से ही अनुदेश मौजूद हैं। व्हील चेयर रेलवे द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के परिचरों को उन्हें गाड़ियों तक लाने और ले जाने के लिए बिल्कुल निशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। हालांकि, जब भी परिचर इच्छुक नहीं होते हैं या परिचर नहीं होते हैं, तो दिव्यांगजनों आदि को गाड़ियों तक लाने और ले जाने के लिए पूर्व निर्धारित नाममात्र दर पर कुलियों (सहायकों) की सेवाएं ली जा सकती हैं। इस संबंध में रेलवे स्टेशन परिसरों में प्रमुख स्थानों पर सूचना प्रदर्शित की जाती है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्रत्येक प्लेटफार्म पर एक व्हील चेयर और आइलैंड प्लेटफार्मों के मामले में प्रत्येक दो प्लेटफार्मों पर एक व्हील चेयर का प्रावधान है।

(v) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ न्यास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के माध्यम से यात्रियों को निशुल्क व्हील चेयर सेवाएं सह कुली सेवाएं बुक करने में सक्षम बनाने के लिए यात्री मित्र सेवा शुरू की गई है।

(vi) कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जरिए निशुल्क और वाणिज्यिक व्यापार के जरिए प्रभार्य आधार पर बैटरी चालित वाहनों की व्यवस्था की गई है।

(vii) गाड़ी के प्रस्थान के बाद यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध है और यदि विकलांग रियायत के प्राधिकार पर बुक किए गए दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपर/बीच की बर्थ आबंटित की गई है, खाली निचली बर्थ देने की मांग करता है तो ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

(viii) विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से अधिक होने पर महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व संसद सदस्यों, विधायकों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण मांगों के लिए अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। यदि महिलाओं, दिव्यांगजनों या वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी अनुरोधों से निपटने के लिए कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर निर्धारित किए गए हैं।

****